

केन्द्र एवं राज्य अन्य पिछडा वर्ग के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक के परिवार के मुखिया जनाधार कार्ड :-
 2. आवेदक का पूरा नाम :
 3. जन्म तिथि :
 4. निवास का पूर्ण पता :.....
(क) वर्तमान.....
(ख) स्थाई.....
- प्राथी का फोटो
(पासपोर्ट साईज)
- क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है* हाँ नहीं
यदि नहीं है तो आवेदक का मूल राज्य.....जिला.....तहसील.....पता.....
5. क्या आवेदक अपने मूल राज्य राजस्थान से अन्य राज्य में विवाह /शिक्षा/ रोजगार/ अन्य प्रायोजनार्थ अन्य राज्य..... के जिला.....तहसील.....पता
... पर निवास कर रहा है । यदि हां तो आवेदन पत्र के साथ घोषणा पत्र प्रारूप M सलंगन करावे ।
6. लिंग :- पुरुष महिला ट्रांसजैण्डर (उभयलिंगी)
 7. धर्म :.....
 8. जाति :.....
 9. उपजाति :.....
 10. उपजीविका-वर्ग.....
 11. आवेदन केन्द्र अ.पि.वर्ग के लिये या राज्य पि.वर्ग के लिये किया जा रहा है केन्द्र राज्य
 12. अ.पि.व. की केन्द्र/राज्य सूची में जाति का क्रम संख्यांक :.....
 13. आवेदक के पिता का नाम.....
 14. आवेदक के माता का नाम :.....
 15. माता-पिता का नाम ज्ञात नहीं होने की स्थिति में संरक्षक का नाम.....
 16. आवेदक के पति का नाम.....

[अ] (II) नगरीय क्षेत्रों या नगर बस्ती में रिक्त भूमि और/या भवन

(I) सम्पत्ति की अवस्थिति।

(II) सम्पत्ति का ब्यौरा

(III) उपयोग जिसके लिए वह रखी गयी है।

[ब] आय/धन

(I) समस्त स्रोतों से कुटुम्ब (माता-पिता व अव्यस्क बच्चों) की वार्षिक आय (वेतनों और कृषि भूमि से आय को अपवर्जित करते हुए)

(II) क्या करदाता है (हां/नहीं) () यदि हां तो गत तीन वर्षों की विवरणी की प्रति दी जावे।

(III) क्या धन कर अधिनियम के अन्तर्गत आता है (हां/नहीं) (यदि ऐसा है तो ब्यौरा दीजिए)

[स] अन्य कोई अभ्युक्तियां।

[द] मैं प्रमाणित करता हूं कि उर्पयुक्त विशिष्टीयां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कि मैं अन्य पिछड़े वर्गों की क्रीमी लियर का नहीं हूं और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूं। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूं कि अभ्यर्थता/नियुक्ति रद्द करणीय होगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होऊंगा जो विधि और या नियमों के उपबन्धित की जायें।

भवदीय,

स्थान दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(i) गवाह* :

मैं [] पुत्र/पुत्री श्री [] निवासी [] विभाग का नाम [] पद [] पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि, प्रार्थी/प्रार्थीया [] पुत्र/पुत्री श्री [] निवासी [] को भली प्रकार से जानता हूं ये अन्य पिछड़ा वर्ग की उपजाति [] का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह* :

मैं [] पुत्र/पुत्री श्री [] निवासी [] विभाग का नाम [] पद [] पर कार्यरत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि, प्रार्थी/प्रार्थीया [] पुत्र/पुत्री श्री [] निवासी [] को भली प्रकार से जानता हूं ये अन्य पिछड़ा वर्ग की उपजाति [] का/की हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

शपथ-पत्र

मेंपुत्र/पुत्री श्री.....निवासी.....गांव/शहर.....तहसील.....
जिला.....राजस्थान का/की हूं। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि :
(1) मैं राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में सम्मिलित जाति.....का/की सदस्य हूं।
(2) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूं।
(3) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।
(4) यह कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

जाति की पुष्टि हेतु प्रथमतया: राजस्व रिकार्ड यथा भूमि जमाबंदी या अन्य दस्तावेज ऑनलाईन
उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में हल्का पटवार जाँच रिपोर्ट

श्रीमान् मुताबिक जाँच, गवाहों एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी.....के/की है। यह अन्य पिछड़ा वर्ग की
उपजाति..... का/की हैं। प्रार्थी का राशन कार्ड नम्बर

.....

दिनांक

हस्ताक्षर

पटवारी

हलका नं

तहसील

उपखण्ड

जिला

1. आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाएं (स्टेपल नहीं करना है)
2. स्वयं या पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र जैसे- प्रथमतया राजस्व रिकार्ड यथा भूमि की जमाबंदी एवं आवश्यक हो तो नगरपालिका/ विकास प्राधिकरण/ नगर विकास न्यास/ ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूखण्ड के पट्टे जिसमें जाति अंकित हो की प्रमाणित प्रति यदि ऑन लाईन नहीं हो तो।
3. आय प्रमाण पत्र/आय कर रिटर्न सम्बन्धी दस्तावेज की प्रति यदि ऑनलाईन दस्तावेज नहीं हो तो
4. आवेदन पत्र में दिये गये शपथ पत्र को उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।
5. दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा- संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजकीय अधिकारी-कर्मचारी/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी /महापौर (सचिव)/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/स्कूल के हैड मास्टर/संबंधित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के डॉक्टर/बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता
6. पुराना जाति प्रमाण पत्र की प्रति यदि ऑनलाईन नहीं हो तो
7. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के मूल निवासी जो कि अन्य राज्यों में विवाह, शिक्षा, रोजगार आदि हेतु निवास कर रहे हैं के लिये जाति प्रमाण पत्र हेतु घोषणा पत्र M सलंगन करे
8. यदि आप ट्रांसजैण्डर (उभयलिंगी) हो तो, ट्रांसजैण्डर (उभयलिंगी) होने का प्रमाण पत्र